रजिस्ट्री सं. डी. (डी.एन.)-127 REGISTERED NO. D. (D.N.) 127

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 104] नई दिल्ली, सोमवार, मई 18, 1987/वैशाख 28, 1909
No. 104] NEW DELHI, MONDAY, MAY 18, 1987/VAISAKHA 28, 1909

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह असग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

वाणिज्य मंत्रालय

आयात व्यापार नियंत्रण

सार्वजनिक सूचना सं. 179 आई टी सी (पी एन)/85–88

नई दिल्ली, 18 मई, 1987

विषय :– अप्रैल 1985 – मार्च 1988 के लिए आयात–निर्यात नीति ।

फा. सं. आई पी सी /4/5 (304)/85–88 – वाणिज्य मंत्रालय की सार्वजनिक सूचना संख्या 1–आई टी सी (पी एन)/85–88, दिनांक 12 अप्रैल, 1985 के अन्तर्गत प्रकाशित अप्रैल 1985—मार्च 1988 के लिए यथासंशोधित आयात-निर्यात नीति की ओर ध्यान दिलाया जाता है ।

2. नीति में निम्नलिखित संशोधन नीचे निर्दिष्ट उपयुक्त स्थानों पर किए जाएंगे :–

क्रम सं.	आयात–निर्यात नीति 1985–88 (खंड–1) की पृष्ठ संख्या	संदर्भ	संशोधन
1	137	परिशिष्ट–3 भाग–क	प्रविष्टि सं. 532 के पश्चात् निम्नलिखित प्रविष्टि को जोड़ा जाएगा :– "532–क लिफ्टिंग मैग्नेट"
2	200	परिशिष्ट–6 सूची–8 भाग–1 प्रविष्टि सं. 496 "लिफ्टिंग मैगनेट"	इस प्रविष्टि को हटा दिया जाएगा ।

3. इस सार्वजनिक सूचना की शर्तों के अनुसार खुले सामान्य लाइसेंस में से निकाली गई उपर्युक्त मदों के संबंध में, पात्र आयातकों द्वारा खुले सामान्य लाइसेंस के अधीन आयात इस सार्वजनिक सूचना की तिथि से पहले खोले गए और स्थापित किए गए अपरिवर्तनीय साख पत्र की सीमा जिसके लिए पोतलदान इस सार्वजनिक सूचना की तारीख से 90 (नब्बे) दिनों के भीतर किया जाना है, को छोड़कर, आयात अनुमेय नहीं किया जाएगा ।

4. आयात–निर्यात नीति में उपर्युक्त संशोधन लोकहित में किए गए हैं ।

ह./–

राजीव लोचन मिश्र, मुख्य नियंत्रक, आयात–निर्यात

एल. प्रसाद, संयुक्त मुख्य नियंत्रक, आयात–निर्यात

MINISTRY OF COMMERCE

IMPORT TRADE CONTROL

PUBLIC NOTICE NO. 179-ITC (PN)/85-88

New Delhi, the 18th May, 1987

Subject : Import and Export Policy for April 1985-March 1988.

File No. IPC/4/5(304)/85-88 :—Attention is invited to the Import & Export Policy for April 1985-March 1988, published under the Ministry of Commerce Public Notice No. 1-ITC(PN)/85-88 dated the 12th April, 1985, as amended.

2. The following amendments shall be made in the Policy at appropriate places indicated below :—

Sl. No.	Page No. of Import & Export Policy, 1985-88 (Volume I)	Reference	Amendment
1	2	3	4
1.	137	APPENDIX 3, PART—A	After Entry No. 532, the following entry shall be added :— "532A. Lifting magnets."
2.	200	APPENDIX 6 LIST 8, PART—I Entry No. 496 "Lifting magnets"	This entry shall be deleted.

3. In respect of the above item taken out of Open General Licence in terms of this Public Notice, import under Open General Licence by eligible importers shall not be permitted except to the extent of irrevocable letters of credit already opened and established before the date of this Public Notice, for which shipments are made within a period of 90 (Ninety) days from the date of this Public notice.

4. The above amendments in the Import & Export Policy have been made in the public interest.

R. L. MISRA Chief Controller of Imports & Exports

L. PRASAD, Jt. Chief Controller of Imports & Exports

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1987